उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग) मोथरोवाला, देहरादून –248001

टेलीफैक्स : (0135) 2532619

कार्यालय आदेश

नेशनल प्रोजेक्ट फॉर बोवाईन ब्रीडिंग (एन.पी.बी.बी.) योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के प्रशिक्षण हेतु पूर्व में प्रचलित समस्त शर्तो का अतिक्रमण करते हुए तत्काल प्रभाव से संशोधित शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जा रहा है। भविष्य में समस्त आवेदकों से आवेदन पत्र संशोधित शर्तो एवं आवेदन पत्र के प्रारूप पर ही प्राप्त किये जायेंगे तथा संशोधित शर्ते तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) हेतु शर्ते, नियमावली एवं आवेदन का प्रारूप निम्नवत् है–

यू.एल.डी.बी. द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के इच्छुक बेरोजगार नवयुवकों को कृत्रिम गर्भाधान कार्य को स्वरोजगार के रूप में अपनाने वाले अभ्यर्थियों हेतु गाय/भैंस में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी एवं जिस स्थान/गांव में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य प्रारम्भ करना चाहता है, का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो, और उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल (विज्ञान ग्रुप से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को वरीयता) हो। यू.एल.डी.बी. के माध्यम से चार माह का कृत्रिम गर्भाधान कार्य का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जो अपने गृह क्षेत्र के उस स्थान/गांव पर उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के रूप में कार्य करेगा, जिस स्थान की 5 किमी की परिधि में पूर्व से पशुपालन विभाग/डेरी विभाग/बायफ तथा अन्य किसी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता का कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित न हो। **चार माह के इस प्रशिक्षण** का व्यय क्रमशः यू.एल.डी.बी. एवं सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी द्वारा निम्नवत् वहन किया जायेगाः

क. यू.एल.डी.बी. द्वारा– (जिसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय, बोर्डिंग लाजिंग आदि सम्मिलित होंगे) :–

1. **कक्ष प्रशिक्षण** – यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक–ऋषिकेश में : (प्रशिक्षण समापन के दिन को सम्मिलित करते हुये) – **46 दिन**
2. **कालसी फार्म** में व्यवहारिक प्रशिक्षण – **10 दिन**

ख. फील्ड प्रशिक्षण –

- राज्य के ऐसे ए.आई. केन्द्रो पर, जहां पर्याप्त ए.आई. हो रही हो, प्रशिक्षणार्थियो को **45 दिन** (अलग–अलग 02 कार्यरत ए.आई. केन्द्रो पर क्रमशः 25 एवं 20 दिन) का फील्ड प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसके लिये प्रशिक्षार्थियों को यू.एल.डी.बी. से ₹2000.00 फील्ड प्रशिक्षण हेतु गुजारा भत्ता देय होगा। इसमे से ₹1000.00 प्रशिक्षण के लिये प्रस्थान करते समय और ₹1000.00 प्रशिक्षण के अंत में सफल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र सम्बन्धित ए.आई. केन्द्रो से लाकर प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध कराने पर दिया जायेगा।
- 19 दिन का अंतिम फील्ड प्रशिक्षण व्यय प्रशिक्षार्थियो को स्वयं वहन करना होगा, जिसके लिये उन्हे उनके निवास स्थल/प्रस्तावित कार्य स्थल के निकटतम ए.आई. केन्द्र, जहां पर्याप्त ए.आई. हो रही हो, पर भेजा जायेगा।

3. प्रशिक्षणोपरांत जिन उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को यू.एल.डी.बी. द्वारा एन.पी.बी.बी. योजनान्तर्गत क्रयोकैन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा ए.आई. गन आदि निःशुल्क दिये जाने की दशा में उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) द्वारा उपरोक्त सामग्री की समुचित गारन्टी यथा– किसी बीमा कम्पनी से Fidelity Bond दिया जायेगा। क्रयोकैन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं ए.आई. गन निःशुल्क अनुमन्य किये जाने का अधिकार, मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी. को होगा। मुख्य अधिशासी अधिकारी उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को समस्त मापदण्डों पर उपयुक्त पाये जाने की दशा में ही निःशुल्क सामग्री अनुमन्य किये जाने हेतु निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
4. यदि प्रशिक्षणार्थी को यू.एल.डी.बी. द्वारा कृत्रिम गर्भाधान हेतु सामग्री यथा–क्रयोकैन, ए.आई. गन आदि दिये जाने के पश्चात् सम्बन्धित उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य न किये जाने की दशा में दी गयी समस्त सामग्री बोर्ड को वापस की जायेगी, जिस हेतु कुमायूं मण्डल के उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) द्वारा सामान वापसी सीमेन बैंक लालकुंआ (नैनीताल) में एवं गढ़वाल क्षेत्र के कार्यकर्ता अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र,